

प्रपत्र-“श”

अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित
वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33एवं43(2)(3)के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पत्ता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन :-MOUNT LITERA ZEE SCHOOL BHAGALPUR,
Near Jamni More Kharwa Bhagalpur.
2. भवन का निर्माण वर्ष :-2015
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र(औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण वर्ष):- नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण तिथि :- 02.01.2019
5. भवन अधिभोग का प्रकार :- शैक्षणिक
6. उप कब्जे (Sub-occupancy)के प्रकार :- स्कूल (नर्सरी से बारहवीं तक)
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई (मीटर में) :- 09 मी0
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई :-00 मीटर
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी:-25 मी0
10. भवन का आच्छादित क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में) :- 4042.17 वर्ग मि0
11. मंजिलों की संख्या :- जी+2
12. तलघर की संख्याँ :-नहीं है।
13. रिस्टल्ट/भूतल की संख्या:-01
14. ब्लॉक की संख्या:-01
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- असामान्य।
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):-भूतल-1679.91, प्रथम तल-1575.38 एवं द्वितीय तल-
787.69 वर्ग मी0(प्रथम तल में लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लैब,सभी प्रयोगशाला कार्यरत है/ 864 बच्चे पढते है।
17. पहुँच सडक/स्ट्रीट (नाम एवं चौडाई):- जमनी नीमा रोड/20 फिट
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है?:- हाँ, पक्की सडक है।
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है?:- नहीं।
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौडाई:-आगे 20 फिट, अन्य
3 तरफ पर्याप्त सेटबैक है।
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- सुगम है।
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार
और निकास द्वार की न्यूनतम चौडाई एवं उचाई है?:- हाँ है।
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनो की संख्या):- चिन्हित नहीं है।
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):-05 मी0
25. प्रवेश द्वार की संख्या:-03
26. निकासी द्वार की संख्या :-03
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान :-है।
28. आंतरिक सीढी(संख्या/ट्रीड्स की चौडाई/ राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- 01
अदद/08 फिट/06 ईच/30 ईचं (दोनो सिढीयाँ बरामदा में एक-दूसरे से जुड़ा है।)

29. बाहरी सीढी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):-01 अदद/08 फिट/06 ईच/30 ईच (दोनों सिढीयाँ बरामदा में एक-दूसरे से जुड़ा है।)
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढियों तक की दूरी):-25 मी0.
31. रैम्प(संख्या/चौड़ाई/स्टीप) :-नहीं है।
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं है।
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं है।
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं है।
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :-कैम्पस में प्रर्याप्त खुला स्थान है।
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :-लागू नहीं
37. बंद उध्वाधर खुला स्थान :- स्कूल कैम्पस के अंदर खुला स्थान है।
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :-कोरिडोर बाधित नहीं है।
39. क्वालिटी निकास की स्थिति :-03
40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत :- नहीं लगा पाया।
41. तलघर में छत की दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टिलेशन/इत्यादि :- तलघर नहीं है।
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नहीं।
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन :-किया गया है।
44. धुआँ निकासी व्यवस्था :-बैट्री चालित नहीं है।
45. विद्युत अधिष्ठापन :- है (03 फ़ैज)
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- निजी है।
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत :- जैनरेटर, इनवर्टर है।
48. एयर कन्डीशनिंग सिस्टम :- 06 अदद स्पीलिट।
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- नहीं किया गया है।
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फायटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 के तालिका-7 के अनुसार) :- अनुपालन किया गया है।
51. स्वचालित जाँच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हिट डिटेक्टर, अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- नहीं है।
52. स्वचालित स्पिंकलर सिस्टम :- नहीं है।
53. नली रील :- संस्थापित नहीं है।
54. वेट राईजर्स :- नहीं है।
55. सूखी राईजर्स :- लागू नहीं है।
56. डाउन कमर :- नहीं है।
57. यार्ड हाईड्रेन्ट :- संस्थापित नहीं है।
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक(संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- नहीं है।
59. छत टैंक(संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- 6000 ली0
60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रीक मुख्य पम्प/स्टैण्डबाय डीजल पम्प/छिडकाव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बुस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- नहीं है।(समरसेबल पम्प संस्थापित है)

61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०/विनिर्माण वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- एबीसी टाईप 04 कि०-02 अदद, सी ओ टू टाईप-4.5 कि०-03, रिफिलिंग तिथि-26.07.2023
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- लागू नहीं है।
63. फायर ड्रिल और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालिन योजना सहित):- फायर मॉक ड्रिल किया गया है।
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- लागू नहीं है।
65. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है:-

निर्देश/सुझाव दिया जाता है कि:-

1. संस्थापित पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों का रिफिलिंग निम्नलिखित समय पर कराना अनिवार्य है एवं एबीसी टाईप 02 किगा० के स्थान पर 04 किगा० का- 06 अदद,, वाटर सी ओ टू टाईप-09 ली०-02 अदद, का संस्थापन अनिवार्य है।
2. NBC-iv अनुसार भवन में हॉजरिल, हाईड्रेन्ट, संस्थापित करना एवं पानी टंकी की क्षमता बढ़ाया जाना आवश्यक है।
3. अर्धवार्षिक अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल करना आवश्यक है।
4. सूखी बालू से भरी बाल्टियाँ 06 अदद स्टेण्डयुक्त रखना सुनिश्चित करेंगे।
5. स्कूल कैम्पस में सिग्नेज एवं अग्निशमन सेवाएँ का न०-7485805896/97 एवं 0641-2420202 सुस्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित कराई जाये।
6. अग्नि सुरक्षा की जानकारियाँ हेतु बच्चों के बीच पेटिंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता कराई जायें जिनसे बच्चों को आग से सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके।
7. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार अंकेक्षण शुल्क (आच्छादित क्षेत्रफल 4042.17 X 03) =12126.51 अर्थात् 12127/-रूपये का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय मे जमा करें जो Director State Fire Service, Bihar Patna के नामित हो तथा त्रुटियों का निराकरण 10 दिनों में पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें।

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी भागलपुर।

ज्ञापांक 250 दिनांक 01.3.2024

सेवा में,

वरीय जिला समादेष्टा

-सह-

जिला अग्निशमन पदाधिकारी
भागलपुर।

महाशय,

अग्नि अंकेक्षण प्रपत्र अवलोकनार्थ उपस्थापित कृप्या।

21/3/24

21/3/24

वरीय जिला समादेष्टा

सह

जिला अग्निशमन पदाधिकारी
भागलपुर

विश्वासभाजन

01.3.24

सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी
भागलपुर